निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -45/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)- **III,** देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी क मश्नर (क0नि0)- **III, व0क0वि0** देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी0के0 श्रीवास्तव स0स0अ0 एवं सुश्री सरूनी शर्मा लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 25.07.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री वनय कुमार द्विवेदी एवं श्री हिमाँशू म ण सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 05.11.2016 से 17.11.2016 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः –

3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी वभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	14453/-
2015-16	12857/-
2016-17	13830/-

(ii)(c) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय `		अभ्य र्पत रा श
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
डी.डी.ओ कार्य नहीं कया जाता					

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय राजस्व संग्रह को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, वत्त **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में डप्टी क मश्नर (क0नि0)**-III,** देहरादून को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: माह.....03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह डी.डी.ओ कार्य नहीं कया जाता को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

भाग-2 'अ'

प्रस्तर-1 -कर का न्यूनारोपण ` 6.47 लाख एवं ब्याज ` 4.27 लाख वसूल न कये जाने से राजस्व क्षति।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा- 3(1) के अनुसार कसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कये गये प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरो पत कया जायेगा, पुनः धारा- 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार कसी भी अनुसूची में सम्म लत माल से भन्न माल के सम्बन्ध में कर की दर 12.5% तथा दिनांक- 01.04.2010 से 1% अतिरिक्त कर की देयता होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (कर निर्धारण)-3, वा णज्य कर, देहरादून के लेखा अ भलेखों की नमूना लेखा-परीक्षा में पाया गया क चार व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर अपे क्षत दर से जमा नहीं कया गया, जिसका वस्तृत वतरण निम्न प्रकार था -

क्र म सं0	व्यापारी का ववरण/टिन नं0/कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	वक्रय मूल्य	कर निर्धार ण आदेश के अनुसा र कर की दर	अन्त रीय कर की दर	अन्तरीय कर	ब्याज
1	सर्व श्री देवोसाई इन्टर प्राईजेज ई-47, शवलोक कालोनी, रायपुर रोड़, देहरादून टिन- 05011271037 वर्ष- 2011-12	कुरकुरे	690965.00	4.5%	9%	62187.00	
2	सर्वश्री देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ल0, रायपुर रोड़, देहरादून	S.M.P. Flaverd Milk Pista Badam Milk	558758.00 35602.00 97835.00	शून्य - -	5% 13.5 % 13.5	27937.00 4806.00 13208.00	33314.00

	वर्ष 2012-13				%		
3	शेर ए पंजाब ट्रे डंग कम्पनी, देहरादून वर्ष- 2009-10	इस्तेमाल की हुई कार	164648.00	-	4%	6586.00	7739.00
4	सर्वश्री मनहर स्टील्स तेग बहादुर रोड, देहरादून टिन- 05009051871 वत्तीय वर्ष 2012-13	ट्रान्सफार्मर बाडी, पैनल व जक्शन बोर्ड	6260861.00 (प्रान्तीय-5062113.00 केन्द्रीय-1198748.00)	5%	8.5%	532173.00	385825.00
						646897.00	426878.00

लेखा परीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया क उक्त आ डट आप त्त के युक्ति युक्त कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण शासन के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

भाग-2(अ)

प्रस्तर- 02 कर का अनारोपण ` 11.96 लाख।

उत्तराखण्ड शासन, औधो गक वकास अनुभाग-2, अ धसूचना संख्या- 2390/VII-2-09/24-ख/ 2007 देहरादूनः दिनांक- 05 अक्टूबर, 2009 की अ धसूचना के बिन्दु -06 के अनुसार नदी तल से भन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्टर्स, बजरी/मट्टी, वैलास्ट संगल/पहाडों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/ बालू/ मट्टी की रायल्टी दर 40.00 प्रति घनमीटर थी। पुनः उत्तराखण्ड शासन, औधोग्क वकास अनुभाग-2, अ धसूचना संख्या- 3253/VIII-II-II/158-ख/2004, देहरादून 23 दिसम्बर, 2011 के अनुसार खनिज का वक्रय मूल्य, रायल्टी का पाँच गुना होगा।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम, 2005, की धारा -3(1) के अनुसार कसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कये गये प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनीयम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरो पत कया जायेगा तथा कर की दर धारा-4 की व भन्न उप धाराओं के अनुसार होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (कर निर्धारण)-3, वा णज्य कर, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री उत्तरांचल राज्य सहकारी वपणन संघ ल0, देहरादून (टिन 05000790381) वर्ष 2010-11 में बालू, पत्थर तथा बजरी का खनन कर 96.00 प्रति घन मीटर की दर से वक्रय कर निम्न प्रकार 4.5 की दर से कर अदा कया

माह	खनन का वक्रय (घन मीटर में)	व्यापारी द्वारा निर्धारित मूल्य (` 96.00 प्रति घन मीटर)	अदा कया गया कर (4.5%)
4/10	44567.50	4278480.00	200556.00
5/10	44516	2176518.00	200322.00
6/10	34424	3304704.00	154909.00
7/10	6576	631296.00	26231.00
8/10	280	26880.00	1260.00
9/10	458	43968.00	2061.00
10/10	909	87264.00	4091.00
11/10	1814.50	174192.00	8166.00
12/10	5096	489216.00	22932.00
1/11	43469.50	4173072.00	190479.00
2/11	41732	4006272.00	177981.00
3/11	37839	3632544.00	170277.00
योग	261681.50	23024406.00	1159265.00

कर निर्धारण आदेश में वक्रय मूल्य 23024406.00 को बढाकर 25761250.00 कया गया एवं 4.5% की दर से कर आरो पत कया गया था। कन्तु शासन की अ धसूचनाओं के अनुसार वक्रय मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित कया जाना था-

वक्रय मूल्य रायल्टी X 5

=40.00 X 5= 200.00

अतः 261681.50 घन मीटर खनिज का वक्रय मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित कया जाना था-

खनिज का वक्रय मूल्य= 261681.50घन मी0X 200.00

= ` 52336300/-

कर निर्धारण आदेश के अनुसार 25761250/- मूल्य के खनिज पर कर निर्धारित कया जा चुका था अतः अन्तरीय बिक्री 26575050/- (52336300-25761250) पर 4.5% की दर से 1195877/- कर और आरोपणीय था।

लेखा परीक्षा द्वारा इसे इंगीत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क उक्त आप त्त के सम्बन्ध में युक्ति युक्त कारणों से अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण शासन के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

भाग 2(अ)

प्रस्तर- 3 वक्रय पर कर अदा करने के स्थान पर क्रय पर कर अदा करने के कारण राजस्व को क्षति ` 72.96 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा- 3(1) के अनुसार कसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कये गये प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरो पत कया जायेगा तथा कर की दर धारा-4 की व भन्न उपधाराओं के अनुसार होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (कर निर्धारण)- 3, वा णज्य कर, देहरादून के लेखा अ भलेखों की नमूना लेखापरिक्षा में कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री उत्तरांचल राज्य सहकारी वपणन संघ ल0, देहरादून (टिन 05000790381) की वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की पत्रावली की जांच में पाया गया क व्यापारी द्वारा धान एवं गेहूँ की प्रान्तीय खरीद कर क्रय कर अदा कया गया था।जब क व्यापारी द्वारा उक्त क्रय कये गये धान से नि र्मत चावल एवं गेहूँ की प्रान्त के अन्दर बिक्री की गयी थी इस लये उक्त के क्रय पर कर से स्थान वक्रय पर कर देयता पत्र बनती है।

व्यापारी के कर निर्धारण वर्ष 2010-11 की पत्रावली के अवलोकन में यह तथ्य संज्ञान में आया क व्यापारी द्वारा धान से नि र्मत चावल एवं गेहूँ की `96512306 9/- की बिक्री दर्शायी गयी थी जबकि कर `78271315 9/- की बीक्री पर अदा कया गया था।

अतः चावल एवं गेहूँ की अन्तरीय बिक्री `18240991 0/- (96512306 9-78271315 9) पर 4% की दर से कर `729639 6/- आरोप णय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया क उक्त आप त्त के सम्बन्ध में युक्ति युक्त कारणों से अवगत करा दिया जायेगा।

अतः कर के अनारोपण `72.96 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ख)

प्रस्तर -01 स्वीकृत कर वलम्ब से जमा कये जाने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड ` 1.64 लाख।

उत्तराखण्ड मुल्य व र्धत कर नियमावली, 2005 के नियम-II के अनुसार व्यौहारी, जिनका पूर्ववतर्ती वर्ष में 50 लाख से अ धक का आवर्त रहा हो, कर का भुगतान मा सक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक करेगा।

पुनः धारा- 58 (1)(VII)(ख) के अनुसार युक्ति युक्त कारण के बिना- अ धनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया था, देय कर का कम से कम दस प्रतिशत कन्तु अ धक से अ धक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये से अ धक हो, अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (कर निर्धारण)-3, वा णज्य कर, देहरादून की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया क कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री दि एरिया मैनेजर सी0एस0डी0 डपो, 61-ई0सी0रोड, देहरादून(टिन - 05000783979) द्वारा वत्तीय वर्ष के माह 11/2013 का अपना स्वीकृत कर ` 1642914.00 बिना कसी युक्ति युक्त कारणों के दिनांक 06.01.2014 को वलम्ब से जमा कया गया, जिस पर न तो कर निर्धारण अ धकारी से वलम्ब से जमा करने के लए समय लया गया और न ही ब्याज जमा कया गया।

अतः उक्त वलम्ब से जमा कये गये कर ` 1642914.00 पर न्यूनतम 10% अर्थदण्ड ` 164291 आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया क उक्त फार्म भारत सरकार रक्षा मन्त्रालय के अधीन कार्यरत है, जो सेनाओं को कैन्टीन के सामान की आपूर्ति करता है। नवम्बर 13 का देय कर वलम्ब से जमा कया गया के सम्बन्ध में बताया क पूरे भारत वर्ष में खर्चे हेतु फण्ड हमारे मुख्यालय मुम्बई से आवंटित होते हैं, जो ऑन लाईन RTGS के माध्यम से प्राप्त हुआ, दिसम्बर- 2013 में समय से प्राप्त नहीं हुआ, जो दिनांक 06.01.2014 को जमा कया गया है, अन्यथा वभाग द्वारा समय से पूर्व देय रा श जमा कर दी जाती है।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है क्यों क न तो उनके द्वारा वलम्ब से जमा करने के लए कोई समय मांगा गया और न ही ब्याज जमा कया गया। अतः स्वीकृत कर वलम्ब से जमा कये जाने के परिणाम स्वरूप अर्थदण्ड ` 1.64 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर- 02 कर का अनारोपण 03.05 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार कसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भन्न माल पर 13.5% की दर से कर देयता होगी।

डप्टी क मश्नर (क.नि.)-III वा. कर देहरादून के अ भलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री एलेक्सीया पेनल कर निर्धारण वर्ष 2012-13 कर निर्धारण धारा 25(7)एवं 9(2) के आदेश एवं वैलेन्शशीट की जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा `2261353 की प्लान्ट एवं मशीनरी का वक्रय कया गया था क्यो क उक्त धनरा श को प्लान्ट एवं मशीनरी से घटा दिया गया था और उक्त वक्रय पर कोई कर अदा नहीं कया गया था अतः उक्त पर 13.5% की दर से 305283/- का कर आरोपणीय हैं। उक्त पर ब्याज भी देय हैं।

उक्त के सम्बन्ध में एवं क्रय वीजक तथा वक्रय वजक के सम्बन्ध में पूछे जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क युक्ति युक्ति प्रमाण सहित आपके कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

इस प्रकार से कर के अनारोपण `1237724/- का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

प्रस्तर 3 बिक्री कम दर्शाये जाने से कर का अनारोपण `1.73 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम की धारा 3(1) के अनुसार कसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कये गयें प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरो पत कया जायेगा तथा अ धनियम की धारा 58(1)(xiv)के अनुसार मथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है या प्रस्तुत कया है वो कर की उस धनरा श का कम से कम 50% कन्तु 200% से अन धक जो तद द्वारा परिव र्णत हो जाती, अर्थदण्ड का भागी होगा।

कार्यालय डप्टी कमीश्नर (क.नि.)-III वा.कर देहरादून के अ भलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री एम0जे0 गोल्ड प्रा0 ल0 (टिन 05013646179) कर निर्धारण वर्ष 2014-15 (ति थ 31.03.2017) में, व्यापारी द्वारा गोल्ड की बिक्री `17326276.18 से कम प्रद र्शत कया गया था। ववरण निम्नानुसार हैं-

प्रा0 अवशेष—	=	1071949+29848067 30920016
खरीद	=	193980112.36+220364636.81(-)192229057 222115692.17
प्रा0 अवशेष+खरीद	=	253035708.17
अन्तिम अवशेष	=	1696273+4185892 5882165
कुल वक्रय	=	प्रा0अवशेष+खरीद-आ0अवशेष `253035708.17-5882165 `247153543.17

व्यापारी द्वारा प्रद र्शत कुल बिक्री 229827266.99
अतः कम प्रद र्शत बिक्री 17326276.18

इस प्रकार कम बिक्री पर 1% की दर से `173263/-कर आरोपणीय था तथा सुगंत धारा के अनुसार `86632/- अर्थदण्ड आरो पत होगा।

उक्त के सम्बन्ध में इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क युक्ति युक्त कारणों से अवगत करा दिया जायेगा।

अतः बिक्री कम दर्शाये जाने से कर का अनारोपण `173263/- तथा अर्थदण्ड `86632 का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-4 स्वीकृत कर पर ब्याज कम जमा कये जाने से राजस्व क्षति `2.54 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 34(1) के अनुसार स्वीकृत रूप से देय कर की धनरा श सम्बन्धित कर की ववरणी के साथ वहित रीति से जमा की जायेगी। कर के रूप में निर्धारित धनरा श वनिर्दिष्ट रिति से और कर निर्धारण आदेश एवं माँग पत्र की तारीख के 60 दिन के भीतर जमा की जायेगी। स्वीकृत कर से देय कर निर्धारित कर और अधोरो पत अर्थदण्ड धनरा श से अन्य कोई धनरा श (वलम्ब शुल्क यदि कोई हो, सहित) जो इस अ धनियम के कसी उपबन्ध के आधीन भुगतान हेतु योग्य अवधारित की जायें वहित रीति से और वहित समय के भीतर जमा की जायेगी। स्वीकृत कर पर 15% वा र्षक दर से अर्थात 1.25% मा सक दर से ब्याज भी जमा करेगा।

व्यापारी एलेक्सीया पेनल कर निर्धारण वर्ष 2012-13 कर निर्धारण ति थ 19.12.2016 के धारा 9(2) के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश में `589289/- का स्वीकृत कर की मांग सृजित की गयी थी जिसे दिनांक 01.10.2012 से ब्याज सहित 60 दिनों के अन्दर जमा कया जाना था पत्रावली की जांच में पाया गया क व्यापारी द्वारा दिनांक 14.06.2017 तक सम्पूर्ण मांग `589289 जमा कर दिया गया था परन्तु दिनांक 07.06.2017 तक का ब्याज `414221 जमा नहीं कया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा उत्तर में बताया गया क दिनांक 27.07.2017 को `160353 जमा कया गया था

अतः स्वीकृत कर पर ब्याज कम जमा कये जाने से राजस्व क्षति `253868 का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर- 5 इनपुट टैक्स क्रे डट का अ धक लाभ दिये जाने से राजस्व क्षति `0.68 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा-6(1) के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ केवल एक पंजीकृत व्यौहारी को ही अनुमन्य होगा और कसी पंजीकृत व्यौहारी द्वारा पंजीकृत होने का पश्चात कसी कर अव ध के लए देय कर की गणना करने के प्रयोजन से ऐसे पंजीकृत व्यौहारी को अनुसूची III में वनिर्दिष्ट माल का वक्रय या ऐसा वक्रय जैसा क वहित कया जाये से भन्न, ऐसे समस्त कराधेय वक्रय के बारे में जमा कये गये अथवा देय कर के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स का लाभ, जैसा क इस अ धनियम के उपबन्धों के अधीन अवधारित कया जायेगा, अनुमन्य होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (कर निर्धारण) -3 वा णज्य कर, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री देवोसाई इन्टर प्राईजेज, ई-47 शवलोक कालोनी, रायपुर रोड देहरादून (टिन- 05011271037) द्वारा वर्ष 2012-13 में अपनी प्रान्तीय खरीद पर निम्न प्रकार खरीद पर कर अदा कया गया था

क्र.सं.	अव ध	खरीद	इनपुट टैक्स
1	01.04.2012 से 30.06.2012	4.5% - 5734736.00 5% - 5621450.00	258063.00 281072.00
2	01.07.2012 से 30.09.2012	5% - 12118205.00 13.5% - 58266.00	605910.00 7866.00
3	01.10.2012 से 31.12.2012	5% - 9011671.00 13.5% - 10689.00	450583.00 1443.00
4	01.01.2013 से 31.03.2013	5% - 5062474.00	253124.00
		37617492.00	1858061.00

उपरोक्त प्रकार से व्यापारी द्वारा कुल `37617492.00 धनरा श का 4.5%, 5% एवं 13.5% वाले माल का क्रय कया गया तथा उसके लए दा खल क्रय सूची के अनुसार मात्र `1858061.00 धनरा श का इनपुट टैक्स का लाभ दिया जाना था, जब क कर निर्धारण आदेश के अनुसार `1926995.00 धनरा श का इनपुट टैक्स क्रे डट का लाभ दिया गया। अतः 68932.00(1926995-1858062) इनपुट टैक्स क्रे डट का अ धक लाभ दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया क प्रथम तिमाही में ITC का क्लेम सही दर्शाया गया है व वा र्षक ववरणी के अनुसार भी

पत्रावली का अवलोकन करने पर ITCका दावा सही पाया गया। व्यापी द्वारा प्रथम तिमाही में दर्शाया गया ITC एवं वा र्षक ववरणी के अनुसार दर्शाया गया ITC का दावा एक समान है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है, क्यों क व्यापारी द्वारा प्रस्तुत क्रय सूची के अनुसार वर्ष 2012-13 में मात्र 1858061.00 का कर ही खरीद पर दिया गया था इस लए उनको मात्र 1858061.00 इनपुट टैक्स क्रे डट का ही लाभ अनुमन्य था।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 06- कर का अनारोपण `0.29 लाख।

कार्यवाही डप्टी क मश्नर (कर निर्धारण)-3 वा णज्य कर, देहरादून के लेखा अ भलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री उत्तरांचल राज्य सहकारी वपणन संघ ल0, देहरादून (टिन 05000790381) वर्ष 2010-11 की पत्रावली की जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा दा खल ववरण पत्रों के अनुसार व्यापारिक स्थिति तथा बिक्री की धनरा श जिस पर कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारित कया गया निम्न प्रकार भन्नता थी-

क्र.सं.	नाम वस्तु	व्यापारिक स्थिति के अनुसार बिक्री की धनरा श	बिक्री की धनरा श जिस पर कर अदा कया गया
1	फर्टीलाइजर, पेस्टी साईड	13887056.00	
2	खनन	25761250.00	
3	कन्जूमर गुड्स	8458066.00	
1	पेस्टीसाईड, कम्प्यूटर गुड्स, स्टेशनरी, खनन आदि की बिक्री		42088998.35
2	फर्नीचर, स्टेशनरी, फोटो का पयर मशीन आदि की बिक्री		5071295.00
3	जी.आई.वायर की बिक्री		290000.00
		48106372.00	47450293.00

उपरोक्त से प्रद र्शत है क दा खल ववरणी के अनुसार बिक्री `48106372.00 की थी जब क कर निर्धारण करते समय उक्त बिक्री में से मात्र `47450293.00 पर ही कर आरो पत/ निर्धारित कया गया था। अतः अन्तरीय बिक्री 656079.00 (48106372-47450293) पर 4.5% की दर से 29524.00 कर और आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया क उक्त आप त्त के सम्बन्ध में युक्ति युक्त कारणों से अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

STAN

STAN - I.T.C रिवर्स कया जाना `0.035 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 6(2) के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ, जिसके लये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनरा श होगी, जो कर अव ध के दौरान ऐसे प्रयोजन हेतु एवं ऐसी शर्तो के आधीन रहते हुए जैसा क इस धारा में वर्निदिष्ट है, कये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा वक्रेता व्यौहारी को भगतान कया गया और जिसके कारण ऐसी रिति से की जायेगी जैसा क वहित की जाये। इस अ धनियम की धारा 58(1)(xi) के अनुसार इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में कसी धनरा श का गलत दावा करता है या कसी मथ्या बिक्री वजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो पाँच हजार रू. या दावा कृत धनरा श की तीन गुणा धनरा श, जो भी अ धक हो, देय होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-III देहरादून के अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री हितकारी वस्तु भण्डार कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में `1585060/- के ITC का दावा कया गया था जिसे कर निर्धारण अ धकारी द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गयी थी परन्तु क्रय बीजक की जाँच में पाया गया क मेसर्स अ र्पत ड्रगस (टिन 0500395785) से क्रय कये गये माल पर `3521.20 का ITC टिन न0 गलत होने के कारण आमान्य कया जाना है। क्यों क उक्त टिन सं0 पर फार्मा डस्ट्रीब्यूटर्स पंजीकृत है। उस प्रकार उक्त खरीद को अपंजीकृत खरीद मानते हुए ITC `3512/- रिवर्स कया जाना है।

इस प्रकार `3512/- ITC रिवर्स कये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	
2016-17	01	01,02,03,04,05	-
22/11-12	01	-	-
34/12-13	02		STAN-1
16/13-14	01	01,03	-
20/14-15	-	02,03,04	STAN-1
30/15-16	-	01,02,03	STAN-1,2,3,4

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु डप्टी क मश्नर (क0नि0)- **III,** व0क0 व0 देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	मौ. शाहब अली	01.04.2016 से 21.07.2016
(ii)	डा. सुनिता पाण्डे	22.07.2016 से 23.08.2016
(iii)	श्रीमती सा वत्री शाह	24.08.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति डप्टी क मश्नर (क0नि0)- **III,** देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र